श्री कामेश्वर सिंह "असिस्टेंट प्रोफेसर"
विषय — राजनीति विज्ञान
वर्ग — बी० ए० पार्ट — III 'प्रतिष्ठा'
पत्र — VI
यूनिट नं० — 17
दिनांक — 06-05-2020

अरस्तू का दासता सम्बन्धी सिद्धान्त :
(Aristotles Theory of Slavery)

(B) कानूनी दास :→ अरस्तू के अनुसार प्राकृतिक दास के अतिरिक्त दास की एक और श्रेणी होती है। जिसे वह कानूनी दास की संज्ञा देता है। कानूनी दास का अर्थ वैसे दासों से है जो युद्ध में हार जाने के कारण विजेता द्वारा बन्दी बनाए गए हैं। अरस्तू के समय में कानूनी दास के संबंध में दो विरोधी विचारधाराएँ प्रचलित थीं। पहली विचारधारा ने कानूनी दासता को अनुचित घोषित किया था क्योंकि उसके द्वारा सभ्य, गुणी आदि जैसे युद्ध में हारे व्यक्तियों को दास बनाया जाता था। दूसरी विचारधारा यह थी कि विजेता मात्र शक्ति से ही उत्कृष्ट नहीं होता बल्कि विवेक, उत्तमता और सद्गुण में भी उत्कृष्ट होता है।

दोनों विचारधाराओं को स्पष्ट करने के बाद अरस्तू ने दोनों विरोधी विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाया है। उसने कानूनी दासता के समर्थकों का खण्डन तीन आधारों पर किया है।

(1) युद्ध में जीतनेवाला अधिक शक्तिशाली होता है परन्तु आवश्यक नहीं कि वह अधिक गुणी और विवेकी भी हो।

(2) हो सकता है कि युद्ध का कारण ही अन्यायपूर्ण और अवैध हो। अतः ऐसे युद्धों से उत्पन्न दासता को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(3) अरस्तू के अनुसार यूनानी सर्वगुण सम्पन्न और सदैव से स्वतंत्र रहे हैं। अतः उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता। दास बर्बर लोगों को ही बनाया जा सकता है।

स्वामी-दास सम्बन्ध :→ अरस्तू ने दास प्रथा का विश्लेषण करते समय स्वामी दास संबंध पर भी प्रकाश डाला है जो निम्नलिखित प्रकार का है।

(1) स्वामी और दास का संबंध आत्मा और शरीर के संबंध जैसा होता है। जिस प्रकार आत्मा से शरीर गौरवान्वित होता है उसी प्रकार स्वामी से दास गौरवान्वित और आश्वान्वित होता है।

(2) स्वामी का काम आदेश देना और दास का काम पालन करना है। अतः दास को आज्ञा पालन के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए।

(3) स्वामी को अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इससे वह स्वयं अपना अहित करेगा।

(4) स्वामी को प्राकृतिक दास के साथ मित्रवत तथा कानूनी दास के साथ निरंकुश के समान व्यवहार करना चाहिए।

(5) जो व्यक्ति स्वभाव से दास नहीं है परन्तु बन्दी के रूप में दास बनाया गया है तो उसे मुक्त कर देना चाहिए।

(6) आवश्यक नहीं कि दास का बेटा दास ही हो। यदि वह

Scanned by CamScanner

विवेकी और सद्गुण सम्पन्न है तो उसे दास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

अरस्तु द्वारा चित्रित दास प्रथा की विशेषताएँ :→ यदि हम अरस्तु द्वारा चित्रित दास प्रथा का विश्लेषण करें तो उसकी निम्नलिखित विशेषताओं से अवगत होते हैं :-

(1) दासता प्राकृतिक है :→ अरस्तु के अनुसार दासता एक प्राकृतिक तथ्य है। क्योंकि कुछ व्यक्ति प्रकृति द्वारा शासन करने के लिए और कुछ शासित होने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं।

(2) दासता नैतिक है :→ अरस्तु दासता को नैतिक मानता है क्योंकि इस प्रथा के कारण ही दास का नैतिक विकास होता है और स्वामी का मानसिक और आध्यात्मिक विकास।

(3) भिन्न शारीरिक बनावट :→ दास के शरीर का बनावट मजबूत और श्रम करने वाला होता है। उसमें विवेक का अभाव होता है। उसके शरीर और मस्तिष्क को देखकर पहचाना जा सकता है।

(4) दास सजीव सम्पत्ति है :→ अरस्तु सम्पत्ति को दो भागों में विभाजित करता है निर्जीव तथा सजीव। निर्जीव में सोना, चाँदी आदि आते हैं। सजीव में पशु, दास आदि आते हैं अतः दास एक प्रकार का सजीव सम्पत्ति है।

(5) दास स्वामी का एक अंग :→ स्वामी के विभिन्न अंग होते हैं जैसे परिवार और पशु। इसी प्रकार का एक अंग दास का भी होता है।

(6) दास सेवा का साधन है, उत्पादन नहीं :— अरस्तु ने दास को सेवा का भी माना है वह उत्पादन का साधन नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में उससे घरेलू काम कराया जा सकता है, परन्तु ऐसा सामान तैयार नहीं कराया जा सकता जिसे बाजार में बेचकर लाभ कमाया जाए। इस प्रकार अरस्तु औद्योगिक दास और घरेलू दास में अंतर करता है।

आलोचना :→ अरस्तु ने जिस दासता के पक्ष में अनेक तर्क दिए हैं, आज उसकी आलोचना विभिन्न आधारों पर की जाती है।

(1) उद्देश्यता से मेल नहीं खाता :→ अरस्तु मनुष्य के जीवन का उद्देश्य उत्कृष्ट जीवन की प्राप्ति मानता है। दूसरी ओर दासों को पशुतुल्य जीवन देकर उत्कृष्ट जीवन के उद्देश्य को पराजित कर देता है।

(2) दो भागों में विभाजन अनुचित है :→ अरस्तु मानव जाति को दो भागों में – स्वामी और दास में बाँट देता है। यह विभाजन अनुचित है। क्योंकि इससे अनेक व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

(3) सजीव उपकरण नहीं :— दास को सम्पत्ति मान लेना मानव जाति के साथ अन्याय है। सम्पत्ति चेतना शून्य होती है जबकि दास नहीं।

(4) वास्तु पशु नहीं:– अरस्तु दास को दूसरा पशु से मानता है परन्तु दास पशु नहीं होता है क्योंकि कुछ अंशों में उसमें भी बुद्धि होती है।

(5) अव्यावहारिक:→ यदि कोई व्यक्ति शरीर से दास के समान हो और प्रकृति से स्वामी के समान तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा।

(6) अन्तर विरोध:→ कोल के अनुसार "स्वयं अरस्तु के ही विवेचन में उसके सिद्धान्त का खण्डन अन्तर्निहित है। वह मानता है कि दास में भी कुछ बुद्धि होती है। अतः उसे मात्र उपकरण के रूप में स्वीकार करना अन्तर्विरोध है।

(7) मनोविज्ञान के विरुद्ध:→ अरस्तु के अनुसार मनुष्य कुछ गुणों के साथ जन्म लेता है और यह गुण जन्म पर आधारित होता है। आधुनिक मनोविज्ञान इस तर्क को स्वीकार नहीं करता।

(8) स्वतंत्रता व समानता का विरोधी:→ अरस्तु की दासता का सिद्धान्त क्रूर और स्वतंत्रता समानता का विरोधी है। यह आधुनिक काल में प्रजातंत्र, स्वतंत्रता और समानता से मेल नहीं खाता।

(9) विलासमय जीवन का आधार:→ दास प्रथा उच्च वर्ग को विलासी, निकम्मा, शोषक और पीड़क बना देता है। दूसरी ओर दासों को शोषित और पीड़ित वर्ग।

(10) अहंकार की भावना:→ अरस्तु के अनुसार यूनानी जाति महान है। वह सदैव से स्वतंत्र रही है। वह सद्गुणों की खान है। अतः उसे दास नहीं बनाया जा सकता। बार्कर के शब्दों में "अरस्तु जातिगत अहंकार और संकीर्ण राष्ट्रवाद का परिचायक है।"

निष्कर्ष:→ इन त्रुटियों के बावजूद हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अरस्तु का मूल्यांकन आधुनिक काल के संदर्भ में करते हैं। अरस्तु के समय में यह एक अनिवार्य और व्यावहारिक आवश्यकता थी। यह सम्पूर्ण यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार थी। यह दूसरी बात है कि हम आधुनिक काल की मान्यताओं के आधार पर अरस्तु की दासप्रथा को रूढ़िवादी, असंगत, अमानवीय, अमान्य और अग्राह्य मानते हैं। इसीलिए बार्कर ने लिखा है कि "अरस्तु कहीं भी इतना लोक सत्य प्राय नहीं है जितना कि वह दास प्रथा के प्रतिपादन में है।"

Scanned by CamScanner